न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 005/2019

1 अमृत पुत्री सुमेरसिंह जाति जाट निवासी ए–93 जनता कॉलोनी, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. जंगीरसिंह पुत्र बचनसिंह ज़ाति कम्बोजसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष चन्द्र गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 01.11.2023

प्रार्थीया अमृत ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थीया के नाम से चक नम्बर 13 सी.डी.आर. के खाता संख्या 62/54 के पत्थर नम्बर 209/263(19) किला नम्बर 8, 13, 18 कुल 0.759 हैक्टर आराजी तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से इसी चक नम्बर के इसी खाता में पत्थर नम्बर 209/261(7) किला नम्बर 4/1/0.012, 7/1/0.013, 14/1/0.013. 17/1/0.012 हैक्टर कुल 0.050 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थना–पत्र की दफा 1 में वर्णित आराजी प्रार्थीया की खातेदारी आराजी है। प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आने जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नही है जिसकी वजह से प्रार्थीया अपनी आराजी में सही [illegible] काश्त नही कर सकती। प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने जाने के लिए तथा आराजी की काश्त करने के लिए मंजूरशुदा रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थीया को अपनी भूमि में आवगमन के लिए चक नम्बर 13 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 209/261(7) किला नम्बर 4/1/0.012, 7/1/0.013, 14/1/0.013. 17/1/0.012 हैक्टर का सबसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:01:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नजदीकी रास्ता है। इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक नम्बर 13 सी.डी. आर. के पत्थर नम्बर 209/261(7) किला नम्बर 4/1/0.012, 7/1/0.013, 14/1/0.013, 17/1/0.012 हैक्टर चौड़ा व प्रत्येक बीघा लम्बा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थीया ने अप्रार्थी से निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र की दफा 2 में अंकित चालू रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करवा देवे तो अप्रार्थी संख्या 1 कतई इन्कार हो गया। बस यही बिनाय प्रार्थना–पत्र है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन है कि कि अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक नम्बरनम्बर 13 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 209/261(7) किला नम्बर 4/1/0.012, 7/1/0.013, 14/1/0.013, 17/1/0.012 हैक्टर चौड़ा व प्रत्येक बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन कर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजद किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिश्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी विधिवत तामील होने के उपरान्त भी स्वयं या उसका कोई प्लीडर हाजिर अदालत नहीं आने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीया द्वारा साक्ष्य के रूप में अप्रार्थी द्वारा सहमति के शपथ पत्र की प्रति पेश की। उक्त प्रकरण में तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का शपथ पत्र व पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मध्यनजर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:01:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थीया के विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये सहमति का शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक नम्बर 13 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 209/261(7) किला नम्बर 4/1/0.012, 7/1/0.013, 14/1/0.013. 17/1/0.012 हैक्टर चौड़ा व प्रत्येक बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:01:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner